



48/2026/1/1256604/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-3 के मेडिकल कालेज, कुशीनगर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर के पत्र संख्या-मे0का0कुशी0/यू0सी0/बजट/गैर वेतन/2025-26/1594, दिनांक 13.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, कुशीनगर हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर में शासनादेश दिनांक 22.04.2025 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹0 491.07 लाख, शासनादेश दिनांक 13.10.2025 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में ₹0 491.07 लाख तथा शासनादेश दिनांक 16.12.2025 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में ₹0 491.07 लाख, इस प्रकार कुल ₹0 1473.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक '2210-05-105-03-93' फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित एकमुश्त धनराशि ₹0 27500.00 लाख के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार ₹0 491.07 लाख (₹0 चार करोड़ इक्यानबे लाख सात हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र 0	मेडिकल कालेज का नाम	बजट प्राविधान	चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर	1964.28	491.07

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 5- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 6- यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,91,07,000 (रुपये चार करोड़ इक्यानबे लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखाशीर्षक 2210051050393 फेज-3** के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन **मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-327/दस-2025-26, दिनांक 28 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या/तददिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।